न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री सर्वेश्वर निम्बार्क ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 292 / 2025

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

कानाराम पुत्र श्री भैराराम, जाति जाट, निवासी दरगुड़ा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। खातेदारी भूमि मौजा देराजोणी सांईयो की ढाणी, पटवा मण्डल पायला खुर्द, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

1. ईश्वरराम पुत्र राजूराम,
2. कानाराम पुत्र राजूराम,
3. किशनाराम पुत्र राजूराम,
4. तेजाराम पुत्र राजूराम,
5. भीयाराम पुत्र राजूराम,
6. नेनाराम पुत्र भूराराम,
7. मानाराम पुत्र दानाराम, कौम मेघवाल, निवासी श्री गोगाजी मन्दिर, पटवार मण्डल पायला खुर्द, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।
8. कंवरराम पुत्र अमराराम,
9. वेहनाराम पुत्र अमराराम,
10. किस्तुरीदेवी पत्नी अमराराम,
11. तुलछाराम पुत्र चेनाराम, कौम जाट, निवासी श्री गोगाजी मन्दिर, पटवार मण्डल पायला खुर्द, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।
12. चेनाराम पुत्र श्री खीयाराम,
13. करनाराम पुत्र श्री फूसाराम,
14. कोजाराम पुत्र श्री फूसाराम,
15. उदाराम पुत्र श्री फूसाराम,
16. हरचन्दराम पुत्र श्री खीयाराम, जाति जाट, निवासी दरगुड़ा तहसील सिणधरी
17. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण वकील विप्रार्थी सं. 1 से 11 की ओर से उपस्थित।
3. राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 17 की ओर से उपस्थित।
4. विप्रार्थी सं. 12, 15,16 स्वयं उपस्थित। शेष एकतरफा।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश

दिनांक— 18.02.2026

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 12 से 16 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 351/176 क्षेत्रफल 8.6518 हैक्टयर ग्राम देराजोणी सांईयो की ढाणी पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 7 का खेत खसरा संख्या 198 रकबा 6.4639 हैक्टयर व विप्रार्थी सं. 8 से 11 के खसरा संख्या 201 रकबा 0.2670 हैक्टयर ग्राम गोगाजी मन्दिर पटवार मण्डल पायला खुर्द भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 11 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम गोगाजी मन्दिर पटवार मण्डल पायला खुर्द की खसरा संख्या 198 रकबा 6.4639 हैक्टयर व खसरा संख्या 201 रकबा 0.2670 हैक्टयर भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि जो अत्याधिक आवश्यकता का एकमात्र विकल्प होने से उसे राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। विप्रार्थी सं. 1 से 11 की तरफ से वकील श्री भंवरलाल सारण द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए प्राप्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करवाये जाने से प्रकरण में दुबारा मौके की रिपोर्ट तलब की गई। विप्रार्थी संख्या 17 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए।

उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 12 से 16 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 351/176 क्षेत्रफल 8.6518 हैक्टयर ग्राम देराजोणी सांईयो की ढाणी पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 11 का खेत खसरा संख्या 198 रकबा 6.4639 हैक्टयर व खसरा संख्या 201 रकबा 0.2670 हैक्टयर ग्राम गोगाजी मन्दिर पटवार मण्डल पायला खुर्द भूमि आया हुआ है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 11 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। जिससे प्रार्थी को सड़क

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते के संबंध में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

विप्रार्थी सं. 1 से 11 के वकील ने अपनी बहस के तथ्यों में कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के प्रस्तावित स्थल के नजदीक ही प्रार्थी के आवागमन हेतु ग्राम देराजोणी सांईयों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 212, 211 में ग्रेवल सड़क निर्मित है। उक्त ग्रेवल सड़क से प्रार्थी के खातेदारी खेत से लगता हुआ निकटतम रास्ता उपलब्ध है, जो सही होने से मौका रिपोर्ट नये सिरे से पुनः तलब की जावे।

पैरोकार सरकार नायब (उपखण्ड कार्यालय) सिणधरी द्वारा अपने कथनों में जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित विकल्प एक मात्र सही है, इसके अतिरिक्त विप्रार्थी वकील द्वारा दी गई दलील अनुसार ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत किया है, कि मौके पर निकटतम रूप से कोई कटाण मार्ग उपलब्ध हो। कानूनन रा.का. अधि. 251 ए के तहत किसी कटाण मार्ग से जुड़ने हेतु कोई पक्षकार रास्ते की मांग करता है।

हमनें दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिर्पोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 12 से 16 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 351/176 क्षेत्रफल 8.6518 हैक्टयर ग्राम देराजोणी सांईयो की ढाणी पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 11 का खेत खसरा संख्या 198 रकबा 6.4639 हैक्टयर व खसरा संख्या 201 रकबा 0.2670 हैक्टयर ग्राम गोगाजी मन्दिर पटवार मण्डल पायला खुर्द भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 11 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोर्ट पत्र क्रमांक 3174/26.11.2025 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा देराजोणी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सांईयो की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 351/176 में पहुचनें के लिए खसरा संख्या 198 व 201 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। जहां तक विप्रार्थीगण वकील की दलील है कि प्रार्थी के खेत से अपेक्षाकृत निकटतम विकल्प के तौर पर इसी ग्राम के खसरा संख्या 212 व 211 में नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित ग्रेवल सड़क उपलब्ध होने से उससे जुड़ा जाने हेतु पुनः मौका तलब करने का प्रश्न है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य उल्लेखित नहीं किया है तथा विप्रार्थीगण स्वयं द्वारा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्यो से साबित नही कर पाये गये है, कि मौके पर निकटतम रूप से कटाण मार्ग उपलब्ध है, मात्र परिशिष्ठ'ब प्रस्तुत करने हुए प्रदर्श किया गया है। उक्त परिशिष्ठ–ब के तथ्यों का निपटारा पूर्व में पक्षकारान की विधिवत सुनवाई के आदेशिका दिनांक 21.01.2026 को किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में एक ही परिशिष्ठ के तथ्यों को सम्मिलित करते हुए बार–बार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उस पर प्रस्तुत दलीलों को पुनः सुने जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मौजा देराजोणी सांईयो की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 351/176 में पहुचनें के लिए खसरा संख्या 198 व 201 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 198 में लम्बाई 238 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर रकबा 0.0952 हैक्टयर, खसरा संख्या 201 में लम्बाई 8 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर रकबा 0.0032 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर असिंचित सड़क के पास राशि–251000/–रूपयें प्रति हैक्टयर है। इस प्रकार खेत खसरा संख्या 198 के खातेदारान को राशि–47800/–अक्षरे सैतालिस हजार आठ सौ रूपयें मात्र विप्रार्थी संख्या 01 से 07 व खसरा संख्या 201 के खातेदारान को राशि– 1650/– अक्षरे एक हजार छः सौ पचास रूप्ये मात्र विप्रार्थी सं. 8 से 11 को दी जानी प्रस्तावित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

लिहाजा विप्रार्थी सं. 1 से 11 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम देराजोणी सांईयो की ढाणी तहसील सिणधरी में विप्रार्थी सं. 1 से 7 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 198 में लम्बाई 238 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर रकबा 0.0952 हैक्टयर, व विप्रार्थी सं. 8 से 11 की खातेदारी खसरा संख्या 201 में लम्बाई 8 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर रकबा 0.0032 हैक्टयर भूमि मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा कलर ——–दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 से 07 को क्षतिपूर्ति राशि–47800/– व विप्रार्थी सं. 8 से 11 को क्षतिपूर्ति राशि– 1650/– तहसील कार्यालय

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र क्रमांकःभू.अ. /2025/3174 दिनांक 26.11.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी